भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2336
(जिसका उत्तर सोमवार, 08 जुलाई, 2019/17, आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया)

क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध

2336. श्री एस. ज्ञानतिरावियमः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास भारत में क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने हेतु काई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) ऐसी कंपनियों/कानूनी संस्थाओं का उनके स्वामियों के नाम सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): (सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी है)। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी में व्यापार की अनुमति का मामला अंतर-मंत्रालयी समिति के जांचाधीन है। सरकार ने बिटकॉइन सहित क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया है। यह समिति मेयटी, आरबीआई, सेबी और सीबीडीटी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर क्रिप्टो करेंसी के विनियमन हेतु ढांचा विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। यद्यपि, वैश्विक रुप से स्वीकार्य समाधान के अभाव में और तकनीकी रूप से व्यवहार्य समाधान निकालने की आवश्यकता के कारण, यह विभाग इस मामले पर समुचित सावधानी बरत रहा है। स्पष्ट सिफारिशों को प्रस्तुत करने की निश्चित समयसीमा बताना कठिन है। सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) में भारत में सरकारी डिजिटल करेंसी लागू करने के गुणावगुणों सहित सभी मामलों

की जांच कर रही है। ऐसी स्कीमों का परिचालन करने या बिटकॉइन या किसी अन्य वर्चुअल करेंसी में लेन-देन करने के लिए किसी एंटीटी या कंपनी को लाइसेंस देने या प्राधिकार देने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार और आरबीआई क्रिप्टो करेंसी के प्रयोक्ताओं को ऐसी वर्चुअल करेंसी से होने वाले खतरों के संबंध में सचेत करती रही है। सरकार ने दिनांक 29.12.2017 की प्रेस विज्ञप्ति द्वारा स्पष्ट किया है कि वर्चुअल करेंसी/क्रिप्टो करेंसी वैध मुद्रा नहीं है और आम जनता के प्रतिनिधियों को क्रिपटो करेंसी में निवेश करने से होने वाले जोखिमों के बारे में सचेत किया है। आरबीआई ने दिनांक 24 दिसंबर, 2013, 01 फरवरी, 2017 और 05 दिसंबर, 2017 की प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा जनता को वर्चुअल करेंसी के जोखिमों और खतरों के संबंध में सावधान किया है, जिनमें संभावित वित्तीय, परिचालनात्क, विधिक, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल हैं और जनता बिटकाइन और/या वर्चुअल करेंसी में निवेश करके स्वयं खतरा मोल ले रही है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसने ऐसी स्कीम का परिचालन करने या बिटकाइन या अन्य वर्चुअल करेंसी का व्यवहार करने के लिए किसी एंटीटी/कंपनी को कोई लाइसेंस या प्राधिकार नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 06.04.2018 की "वर्चुअल करेंसी के व्यवहार पर प्रतिषेध" संबंधी अधिसूचना के अनुसार आरबीआई ने बिटकॉइन सहित वर्चुअल करेंसी के प्रयोक्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसी वर्चुअल करेंसी में शामिल विभिन्न खतरों के विषय में सावधान किया है और आरबीआई ने यह निदेश दिया है कि इससे जुड़े खतरों को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एंटीटियां तत्काल प्रभाव से वर्चुअल करेंसी (वीसी) का प्रयोग नहीं करेंगी और न ही वीसी को स्थापित करने वाले या लेन-देन करने वाले किसी व्यक्ति या एंटीटी को किसी प्रकार की सेवा प्रदान करेंगी और आरबीआई द्वारा विनियमित एंटीटी जो पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, तत्काल प्रभाव से ऐसी सेवाएं प्रदान करना बंद कर देंगी। तद्नुसार, यह प्रतिबंध दिनांक 06 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त हुआ।

*****